

डिक्री व मुकदमा इब्बदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाफा दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (लाज0)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

1. अजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह ब्राह्मण निवासी शाहपुरा हाल निवासी भीलवाड़ा
2. अजय सिंह पुत्र बलदेव सिंह ब्राह्मण निवासी शाहपुरा हाल निवासी भीलवाड़ा
3. अविनाश कुमार व्यास सिंह पुत्र बलदेव सिंह ब्राह्मण निवासी शाहपुरा हाल निवासी भीलवाड़ा
- 3/1 श्रीमती वाणी व्यास पत्नी अविनाश कुमार व्यास निवासी शाहपुरा हाल निवासी भीलवाड़ा

- 3/2. अभिनव कुमार व्यास पुत्र अविनाश कुमार व्यास निवासी शाहपुरा हाल निवासी भीलवाड़ा

बनम

— वादी

1. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— परोकार सरकार वाद पत्र

अन्तर्गत धारा 88, 89-189 आर0टी0ए0
मुकदमा नम्बर 228 सन् 2005 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इन्फिसल कर्तई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वाके ग्राम कादीसहना तहसील शाहपुरा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3383 (0.01 हैक्टेयर) को वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज, एव नवसें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते हैं।

निज मुबलिन, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयावी तक अदा करे।

बाबत मेरे दरतखत व मोहर से आज तारीख 23 माह 09 सन् 2019 को जारी की गई।



(महावीर प्रसाद नायक)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)

शाहपुरा (भीलवाड़ा)